मिसल नम्बर 17/2021
निर्णय दिनांक 22-02-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :- 17/2021

सरकार

बनाम

फूला पुत्र श्री श्योलाल जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 22-02-2021

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल स्वयं उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 841 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.001 हेक्टेयर पर गैर सायल फूला पुत्र श्री श्योलाल जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने सरसो की काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आश्य का पेश किया है कि राजस्व ग्राम दूधवा की भूमि खसरा नम्बर 841 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.001 हेक्टेयर भूमि पर कोई कब्जा नही कर रखा है। यदि कब्जा है तो उसे हटा दिया जावे। गैर सायल द्वारा अन्य कोई ठोस सबूत पेश नही किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल फूला पुत्र श्री श्योलाल जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 841 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.001 हेक्टेयर पर सरसो की काश्त

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 841 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.001 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 841 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.001 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी
(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी

खतावली की मांग कायमी वर्ष 2021-21 खाते 4 पृष्ठ 90 राशि 100/- रू कर दी गई है।
पटवारी
TRA